N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0251 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/11/2024 18:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	384
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2023 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/11/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/11/2024 18:10:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 350 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SUMERPUR,KEKRI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** sunil sihag

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 19/10/1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	plot no 11, FRIENDS COLONY, MALVIYA NAGAR, Jaipur, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	plot no 11, FRIENDS COLONY, MALVIYA NAGAR, Jaipur, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAGARAM		पिता:BHURARAM	1. PALDI JOD,SUMERPUR,PALI,RAJAST
2	ARJUN SINGH		पति:SANWAT SINGH	1. 7,HANUMAN GALI,SURAJPOL,PALI,RAJASTHAN,INDIA
3	RAVI VYAS		पिता:DINESH VYAS	1. HOUSE NO.940,SECTOR NO.11,HOUSING BORD JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA
4	SHIV SHANKER PAREEK		पिता:SHIVRAJ PAREEK	1. QUARTER 20,JP COLONY,NAKA MADAR,AJMER,RAJASTHAN,IN
5	MUKESH RAW AND OTHER		पिता:SATYANARAYAN RAW	1. WARD NO.06 DORAI KA RASTA,KAZIPURA JAGDAMBA

				COLONY,केकड़ी,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		56,952.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 56,952.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

श्रीमान् महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान के पत्रांक नि.गृर/ई-1(13)(2-14)/2024 दिनांक 23-4-2024 से इस आशय का प्राप्त हुआ है कि गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पाली के उप-केन्द्र, सुमेरपुर मे व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में जांच कराये जाने पर जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री नगाराम अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर, सदस्य संख्या-639 द्वारा डयूटी की ऐवज मे स्वयं सेवको से राशि ली गई है। श्री नगाराम द्वारा श्री अर्जुन सिंह कम्पनी कमाण्डर को नगद अथवा फोन-पे के माध्यम से अलग-अलग राशि हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त श्री नंगाराम अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर, सदस्य संख्या-639 के अनुसार माह फरवरी-मार्च 2024 में डयूटी की ऐवज मे ली गई राशि श्री रवि व्यास समादेष्टा को नगद दी गई है। श्री नगाराम अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 के द्वारा स्वयं के फोन-पे मोबाईल नं0 [redacted] पर स्वयं सेवको से लेन देन किया गया, उनमे से कुछ स्वयं सेवको के नाम निम्नानुसार है- (1) श्री प्रतापराम स्वयं सेवक सदस्य संख्या-724, (2) श्री ओमप्रकाश स्वयं सेवक सदस्य संख्या-773, (3) श्री मनाराम स्वयं सेवक सदस्य संख्या-592, (4) श्री राजू कलावंत स्वयं सेवक सदस्य संख्या-618, (5) श्री बीरमाराम स्वयं सेवक सदस्य संख्या-776, (6) श्री सुरेन्द्र सिंह सदस्य संख्या-774, (7) श्री जितेन्द्र ंसिह सदस्य संख्या 752. श्री नगाराम, अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 द्वारा अलग-अलग समय पर स्वंय के फोन-पे नम्बर [redacted] से श्री अर्जुनसिंह कम्पनी कमाण्डर को फोन-पे नम्बर[redacted] पर ऑन लाईन राशि 61,000/- रूपये हस्तान्तरित की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है-(i) दिनांक 10.05.2023 को 14000 /-रूपये, (ii) दिनांक 24.09.2023 को 9000 /-रूपये, (iii) दिनांक 24.09.2023 को 1000 /-रूपये,(iv) दिनांक 28.09.2023 को 5000 /-रूपये, (v) दिनांक 21.10.2023 को 7000 /-रूपये,(vi) दिनांक 24.10.2023 को 25000 /-रूपये इसके अतिरिक्त और भी कई लेन-देन हो सकते है। उल्लेखनीय है कि कई स्वंय सेवको ने नकद लेन-देन का कथन भी किया है। इसी प्रकार गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में पदस्थापित श्री शिवशंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर के विरूद् उप केन्द्र केकडी के गृह रक्षा स्वंय सेवक श्री महावीर प्रसाद-1226 द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जाँच अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में श्री मुकेश राव स्वंय सेवक-1244 के माध्यम से पैसे के लेन-देन सम्बन्धी आरोप प्रमाणित पाये गये है, जिनमें से कुछ उदाहरण निम्नानुसार है- क्र. सं. नाम स्वयं सेवक जिसके द्वारा राशि हस्तान्तरित की गई मोबाईल नम्बर मुकेश राव के फोन-पे मोबाईल नम्बर-[redacted] में हस्तान्तरण की गई शिवशंकर पारीक के फोन-पे मोबाईल नम्बर-[redacted] में हस्तान्तरण की गई दिनांक राशि दिनांक राशि 1 श्री राधेश्याम-1241 [redacted] 28.09.2022 1300 28.09.2022 1000 2 श्री बन्नालाल-1222 [redacted] 09.10.2023 1000 10.10.2023 1000 3 श्री सत्यनारायण-1296 9214000115 20.10.2022 1000 20.10.2022 4000 4 श्री प्रताप-1285 - - 28.10.2022 500 28.10.2022 500 5 श्री प्रहलाद-1255 [redacted] 29.10.2022 3000 29.10.2022 3000 6 श्री गोर्वधन चौधरी-1250 9829066700 16.11.2022 1000 16.11.2022 1000 7 श्री मनोजकुमार-1233 [redacted] 22.11.2022 4800 22.11.2022 4800 8 श्री दुर्गा प्रसाद-1230 [redacted] 23.11.2022 4700 23.11.2022 4700 9 श्री देव राज-1284 [redacted] 04.12.2022 1000 05.12.2022 1000 10 श्री राधेश्याम-1241 [redacted] 03.12.2022 3000 05.12.2022 1500 11 श्री महावीर प्रसाद-1226

[redacted] 17.12.2022 5000 23.12.2022 4500 12 श्री महावीर प्रसाद-1226 [redacted] 27.12.2022 5000 31.12.2022 4000 13 श्री मो. शाहीद-1286 [redacted] 28.12.2022 1500 31.12.2022 2000 14 श्री जयदीप सैन-1288 [redacted] 02.01.2023 600 02.01.2023 600 15 श्री दुर्गा प्रसाद-1230 [redacted] 04.01.2023 3000 04.01.2023 3000 16 श्री प्रहलाद-1255 [redacted] 05.01.2023 1000 05.01.2023 1000 17 श्री संजय कुमार-123 [redacted] 05.01.2023 1000 05.01.2023 1000 18 श्री जगदीश सैन-126 [redacted] 01.02.2023 1000 01.02.2023 1000 19 श्री रमेश चन्द-1274 [redacted] 02.02.2023 1500 02.02.2023 1000 20 श्री गणेश लाल-1313 [redacted] 03.2.2023 1500 03.2.2023 1000 उपरोक्त के अलावा भी अन्य लेन-देन हो सकते है। उक्त प्रकरणों में अन्य लेन-देन तथा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की संलिप्तता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण में गहनता से जॉच कराए जाने की आवश्यकता है। कृपया प्रकरण में अग्रिम जॉच करवाए जाने का श्रम करावें। ब्यूरो मुख्यालय में उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत आर.नं. 3262 दिनांक 06.06.2024 में बाद परोक्षणोपरांत शिकायत में अंकित लोक सेवको के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्राथमिक जांच पंजीयन रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्रांक 1935-36 दिनांक 6.6.24 के द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का निर्देश प्राप्त हुऐ। इस संदर्भ मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय श्रीमान् महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में करवाई गई विभागीय जांच की छाया प्रतियॉ प्राप्त की गई एवं आरोपीगण 1. श्री नगाराम तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल डिस्चार्ज, 2. श्री अर्जुन सिंह कम्पनी कमाण्डर तत्कालीन गृह रक्षा उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल निलम्बित, 3. श्री रवि व्यास, उप समादेष्टा, गृह रक्षा पाली, 4. श्री शिव शंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर एवं 5. श्री मुकेश राव स्वयं सेवक संख्या-1244 गृह रक्षा उप केन्द्र केकड़ी के सेवा विवरण प्राप्त किया जाकर पत्रांक 500 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा आरोपीगण 1.श्री नगाराम तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल डिस्चार्ज, 2.श्री अर्जुन सिंह कम्पनी कमाण्डर तत्कालीन गृह रक्षा उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल निलम्बित, 3.श्री रवि व्यास, उप समादेष्टा, गृह रक्षा पाली, 4.श्री शिव शंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर एवं 5.श्री मुकेश राव स्वयं सेवक संख्या-1244 गृह रक्षा उप केन्द्र केकड़ी व अन्य के विरूद्व रिश्वती राशि स्वयं सेवको से प्राप्त करने के तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर प्राथमिक जांच दर्ज करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिस पर ब्यूरो द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 24/24 दिनांक 19.6.2024 दर्ज की जाकर जरिऐ पत्रांक 634-39 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा जांच हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई। दौराने जांच श्रीमती सुमन ढाका, कमाण्डेन्ट, होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर जयपुर एवं श्री विकास लाम्बा गण समादेष्टा सीमा गृह रक्षा दल बाड़मेर के बयान लेखबद्व किए गए तथा श्रीमान् महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा उक्त आरोपो के संबंध में करवाई गई जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति एवं नोडल ऑफिसर फोन-पे से प्राप्त रिकार्ड का विश्लेषण करने पर श्रीमान् महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्राप्त शिकायत में अंकित मोबाईल नं. [redacted](श्री नगाराम), [redacted] (श्री अर्जुनसिंह), [redacted](श्री मुकेशराव) से ट्राजेक्शन सही पाये गये है। श्री शिवशंकर पारीक का एक अन्य फोन-पे नंबर [redacted] ज्ञात हुआ है, जिस पर लेन-देन के तथ्य सामने आए है। ब्यूरो में प्राप्त शिकायत में अंकित लेन-देन की राशि जो श्री नगाराम द्वारा श्री अर्जुनसिंह को हस्तान्तरित की गई थी, इसके अतिरिक्त फोन-पे से प्राप्त रिकार्ड के विश्लेषण से उपरोक्त लेन-देन के अतिरिक्त श्री नगाराम तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर द्वारा श्री अर्जुनसिंह कम्पनी कमाण्डर को हस्तान्तरित की गई राशि के तथ्य उजागर हुऐ है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- क्र.स. दिनांक हस्तान्तरित राशि 1 10.05.2023 1 2 29.10.2023 1000 3 28.11.2023 2000 ब्यूरो में प्राप्त शिकायत में अंकित लेन-देन की राशि जो श्री मुकेश राव स्वंय सेवक 1244 द्वारा श्री शिवशंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर को हस्तान्तरित की गई थी, इसके अतिरिक्त फोन-पे से प्राप्त रिकार्ड के विश्लेषण से श्री मुकेश राव स्वंय सेवक 1244 द्वारा श्री शिवशंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर को हस्तान्तरित की गई राशि के तथ्य उजागर हुए है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- क्र.स. दिनांक हस्तान्तरित राशि 1 30.09.2022 1000 2 27.10.2022 2000 3 29.10.2022 3750 4 14.11.2022 500 5 23.11.2022 1000 6 03.01.2023 1500 7 12.01.2023 150 8 23.01.2023 50 9 23.01.2023 150 10 23.01.2023 250 11 24.01.2023 830 12 24.01.2023 1000 13 25.01.2023 170 14 21.01.2023 1 जांच अधिकारी के बयानात, फोन-पे विश्लेषण एवं प्राप्त रिकार्ड के आधार पर 1.श्री नगाराम तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल डिस्चार्ज, 2.श्री अर्जुन सिंह कम्पनी कमाण्डर तत्कालीन गृह रक्षा उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल निलम्बित, 3.श्री रवि व्यास, उप समादेष्टा, गृह रक्षा पाली, 4.श्री शिव शंकर पारीक कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर एवं 5.श्री मुकेश राव स्वयं सेवक संख्या -1244 गृह रक्षा उप केन्द्र केकड़ी व अन्य के विरूद्व स्वयं सेवको से रिश्वती राशि प्राप्त करने के आरोप प्रमाणित पाए गए है। आरोपीगण द्वारा स्वयंसेवको को उनकी डयूटी नही लगाने एवं उन्हे गृहरक्षा सदस्यता से डिस्चार्ज करने का भय डालकर उनकी डयूटी लगाने की ऐवज में रूपयो की मांग कर फोन-पे के माध्यम से रिश्वत के रूप में राशियां प्राप्त की गई है। श्री नगाराम एवं श्री मुकेश राव स्वंय सेवक के फोन-पे डाटा

के अवलोकन से भी अन्य ट्राजेक्शन हुए है, जो सन्देहास्पद प्रतीत होते है। जिनके संबंध में भी गहन अनुसंधान की आवश्यकता है तथा कार्मिको के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने पर दौराने अनुसंधान संबंधित को तलब किया जाकर संदिग्धों की भूमिका स्पष्ट की जा सकती है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) वर्ष 2018 एवं 384 व 120बी भा0द0स0 में अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः 1. श्री नगाराम पुत्र श्री भूराराम, उम्र 42 वर्ष निवासी पालड़ी जोड़ तहसील सुमेरपुर, जिला पाली तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल डिस्चार्ज, 2. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह, उम्र 60 वर्ष निवासी 7 हनुमान गली, सुरजपोल, जिला पाली हाल निलम्बित कम्पनी कमाण्डर तत्कालीन गृह रक्षा उप केन्द्र-सुमेरपुर, 3. श्री रवि व्यास पुत्र श्री दिनेश व्यास, उम्र 49 वर्ष निवासी हाउस नं0 940, सेक्टर नं0 11, हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल उप समादेष्टा, गृह रक्षा पाली, 4. श्री शिव शंकर पारीक पुत्र स्व. श्री शिवराज पारीक, उम्र 56 वर्ष निवासी जेपी कॉलोनी, क्वाटर नं0 20, नाका मदार अजमेर हाल कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, 5. श्री मुकेश राव पुत्र श्री सत्यनारायण राव, उम्र 48 वर्ष निवासी काजीपुरा जगदम्बा कॉलेनी वार्ड नं0 06, डोराई का रास्ता, केकड़ी अवैतनिक स्वयं सेवक संख्या -1244 केकड़ी व अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) वर्ष 2018 एवं 384 व 120बी भा0द0स0 में आरोपीगण 1. श्री नगाराम पुत्र श्री भूराराम, उम्र 42 वर्ष निवासी पालड़ी जोड़ तहसील सुमेरपुर, जिला पाली तत्कालीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर सदस्य संख्या-639 उप केन्द्र-सुमेरपुर हाल डिस्चार्ज, 2. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह, उम्र 60 वर्ष निवासी 7 हनुमान गली, सुरजपोल, जिला पाली हाल निलम्बित कम्पनी कमाण्डर तत्कालीन गृह रक्षा उप केन्द्र-सुमेरपुर, 3. श्री रवि व्यास पुत्र श्री दिनेश व्यास, उम्र 49 वर्ष निवासी हाउस नं0 940, सेक्टर नं0 11, हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल उप समादेष्टा, गृह रक्षा पाली, 4. श्री शिव शंकर पारीक पुत्र स्व. श्री शिवराज पारीक, उम्र 56 वर्ष निवासी जेपी कॉलोनी, क्वाटर नं0 20, नाका मदार अजमेर हाल कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, 5. श्री मुकेश राव पुत्र श्री सत्यनारायण राव, उम्र 48 वर्ष निवासी काजीपुरा जगदम्बा कॉलेनी वार्ड नं0 06, डोराई का रास्ता, केकड़ी अवैतनिक स्वयं सेवक संख्या -1244 केकड़ी व अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पाली-प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 62 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1371-78 दिनांक 07-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2- महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। 3- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4-संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।5- समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर। 6-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 7-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर । 8-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 24/2024) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2024 1[illegible]6

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1982				
2	Male	15/07/1964				
3	Male	12/04/1975				
4	Male	21/12/1968				
5	Male	10/01/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)